

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 637) पटना, सोमवार, 30 अगस्त 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

30 अगस्त 2010

सं0 एल0जी0 1—22/2010/लेज—189—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा—पारित निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 23 अगस्त, 2010 को अनुमति दे चुके है, जिसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

> बिहार—राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) अधिनियम 2010 बिहार अधिनियम 26, 2010

प्रस्तावनाः – यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 को निरसित करने के लिए अधिनियम।

भारत सरकार केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 के माध्यम से स्थापित यूनिवर्सिटी का स्थान लेगी। राज्य सरकार इस पर सहमत है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 संसद के मानसून सत्र में पेश करने पर सहमति इस शर्त के साथ दी है कि राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 निरसित कर दी जाय। इस प्रकार संसद द्वारा इस पर अधिनियम बनाने से पूर्व आवश्यक है कि बिहार सरकार द्वारा अधिनियमित यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम 2007 निरसित हो।

इसलिए, अब, भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।—(1) यह अधिनियम यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तूरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. निरसन एवं व्यावृति ।—(1) यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा अधिनियम, 2007 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उप—धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियम द्वारा अथवा अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी भाक्ति के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही वैध माना जायगा एंव ऐसी कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधिनियमित किए जाने तक जारी रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

30 अगस्त 2010

सं० एल0जी० 1–22/2010/लेज–190–बिहार विधान मंडल द्वारा यथा–पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को अनुमत यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) अघिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

[Bihar Act 26, 2010] University of Nalanda (Repeal) Act 2010 AN ACT

Preample:—To repeal University of Nalanda Act 2007.

Government of India intends to establish Nalanda University through a Central Act . This University shall take place of the University of Nalanda established through University of Nalanda Act 2007. State Government is in agreement with it. Central Cabinet has agreed to let the Nalanda University Act 2010 to be tabled in the Monsoon Session of the Parliament on the condition that the State Government repeals University of Nalanda Act 2007. In this way, before the Parliament enacts on this subject , It is necessary that the University of Nalanda Act 2007 as enacted by the Government of Bihar be repealed .

NOW THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar, in the Sixty First Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title ,extent and Commencement— (1) This Act may be called University of Nalanda (Repeal) Act 2010.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
 - 2. Repeal and savings—(1) University of Nalanda Act, 2007 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any action, proceeding or anything initiated in exercise of the power conferred by or under the Act repealed under the sub section (1) shall continue to bevalid until the Central Government enacts the Act.

By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 637-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in